

प्ररूप-4
नियम 25 (1) देखिए
नामनिर्देशन-पत्र

पंच/सरपंच का निर्वाचन।

पंचायत समिति/जिला की पंचायत के लिए निर्वाचन।
मैं इसके द्वारा नोटिस देता हूँ कि मैं स्वयं को वार्ड संख्या से उपर्युक्त पंचायत के पंच/सरपंच के रूप में निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तावित करता हूँ।

1. पूरा नाम
2. अभ्यर्थी का लिंग
3. अभ्यर्थी की जाति
(केवल अजा./ज.जा./अ.धि.व. के व्यक्तियों द्वारा भरा जाये)।
4. पंचायत का नाम तथा सम्बन्धित वार्ड संख्या दर्शाते हुए मतदाता की क्रम संख्या
5. अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम

मैं यह और घोषित करता हूँ कि-

- (1) मैं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अधीन पंच/सरपंच के रूप में अर्ह हूँ।
- (2) मैं उक्त अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के भी अध्यक्ष नहीं हूँ।
- (3) मैं अनुसूचित जातियों/अनु. जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का हूँ/नहीं हूँ।
- (4) मैंने नियम 56 (3) के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति जमा करायी है (केवल सरपंच के लिए लागू)।

तारीख :-

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान :-

रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा भरा जाये।

*उक्त वार्ड/पंचायत की क्रम सं. जिससे अभ्यर्थी चुनाव लड़ना चाहता है

*ऐसे वार्ड/पंचायत के लिए नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं.

यह नाम निर्देश मुझे श्री/श्रीमती/कुमारी

(अभ्यर्थी) द्वारा (तारीख) को बजे प्रस्तुत किया गया था।

रिटर्निंग अधिकारी

नाम निर्देशन-पत्र स्वीकार या नामंजूर करने का विनिश्चय।

मैंने नाम निर्देशन-पत्र की परीक्षा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कर ली है और मेरा विनिश्चय निम्नलिखित है :-

तारीख :-

रिटर्निंग अधिकारी

(नाम निर्देशन-पत्र की रसीद)

उस वार्ड/पंचायत की क्रम संख्या जिससे अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ना चाहता है ऐसे वार्ड/पंचायत के लिए नाम-निर्देशन-पत्र की क्र सं. जो पंच/सरपंच के रूप में निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी है का नाम निर्देशन-पत्र मुझे

..... (तारीख) को बजे श्री

जिनके साथ पहचानकर्ता श्री थे, के द्वारा परिदत्त किया गया था।

नाम निर्देशन-पत्र को (तारीख को बजे

(स्थान) में संवीक्षा के लिए लिया जायेगा।

तारीख :-

स्थान :-

रिटर्निंग अधिकारी

*टिप्पणी : जो सम्बन्धित न हो कृपया उसे काट दीजिए।